

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ०प्र०)

संख्या:-नौएडा/मु०वा०नि०/2019/ III-272 / 1123

दिनांक : 31-5-2019

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मैसर्स नेक्सजेन इन्फ्राकोन (प्रा०) लिमिटेड,
भूखण्ड सं० जीएच - 1/ए, सेक्टर - 78,
नौएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री पियुश चौधरी काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर पंजीकरण संख्या सीए/93/16189 समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जीएच - 1/ए, सेक्टर - 78, नौएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण/परिवर्तन /गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह / फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजदूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजदूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस-पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह आंशिक अधिभोग पत्र दिनांक 21.05.2019 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड / भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन /भवन विनियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा - 10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड / भवन में नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का अधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी /भू-स्वामी का होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 40,468.50 वर्ग मी०

भू-आच्छादन का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल	= 16,187.40 वर्ग मी० (40%)
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल	= 5,558.10 वर्ग मी० (22.608%)
वर्तमान में निर्मित भू-आच्छादित क्षेत्रफल	= 3,463.59 वर्ग मी०

एफ०ए०आर० का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ०ए०आर०(Purchasable FAR सहित)	= 1,43,102.79 वर्ग मी०
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ०ए०आर०	= 1,42,950.66 वर्ग मी०
वर्तमान में निर्मित एफ०ए०आर०	= 63,763.74 वर्ग मी०

(T-1, T-4 & 5, Commercial & Community)

ड्यूलिग यूनिट का विवरण

- कुल स्वीकृत ड्यूलिग यूनिट्स = 718 यूनिट्स
- वर्तमान में निर्मित ड्यूलिग यूनिट्स = 312 यूनिट्स
(T-1, T-4 & 5, Commercial & Community)

प्रतिबन्ध -

- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375 एवं 454 वर्ष, 2015 परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन हेतु आबंटी संस्था बाध्य है। यह अधिमोग प्रमाण पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
- नौएडा भवन विनियमावली - 2010, उओप्रड अपार्टमेंट एक्ट - 2010, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा।
- अधिमोग प्रमाण पत्र एवं समापन मानचित्रों में दर्शायी गयी भाषे, क्षेत्रफल, पार्किंग, हरित क्षेत्रफल, सुविधाएँ तथा सेवाओं को योजना के पूर्व में स्वीकृति/पुनरीक्षित के सापेक्ष प्राधिकरण की बिना पूर्व अनुमति के स्थल पर किसी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वस्त कर / हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- संदर्भित योजना में अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइक्लिंग, लैंडस्केप/ हरित क्षेत्र/ खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीवरेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निमित्त प्राप्त किये गये अनापति प्रमाण पत्रों में अंकित निर्देशों / शर्तों एवं प्रतिबन्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आबंटी संस्था पूर्णतया बाध्यकारी होगी।
- अधिमोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि ग्रीन बिल्डिंग हेतु 5% निःशुल्क अतिरिक्त एफ०ए०आर० प्रदान करने के क्रम में नौएडा भवन विनियमावली, 2010 के प्राविधानों के अनुसार आई०जी०बी०सी० द्वारा जारी किया गया ग्रीन बिल्डिंग(गोल्ड) प्रमाण को बिल्डर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराकर प्राधिकरण में जमा कराना होगा, ऐसा न करने की दशा में तत्समय प्रभावी क्रय योग्य एफ०ए०आर० के देय शुल्क का 200% जमा करना होगा। यद्यपि बिल्डर द्वारा फ्लैट की सब-लीज निष्पादित कर दी गयी हो ऐसी दशा में भी बिल्डर शुल्क जमा करने हेतु बाध्य होगा।
- यह अधिमोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि भविष्य में यदि फ्लैट क्रेता द्वारा मानचित्र में बदलाव या किन्हीं अन्य कारणों से असहमति व्यक्त की जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- फ्लैट स्वामियों व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही कराना सुनिश्चित करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें।

संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र।

प्रतिलिपि:- विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाऊसिंग), नौएडा को सूचनार्थ।

भवदीय,

नाम
पद

(एस० सी० गौडा)
ग्रुप हाऊसिंग निरीक्षक
नौएडा

Completion Drawing is as per Byo
Laws submitted for approval Please

Byo
M. Arshad

Byo
Asst. Arch.

Byo
Architect